राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के अभिभाषक का नाम
1.	2586 / 2021	राजेश कुमार	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।	श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	2587 / 2021	पंकज कुमार शर्मा		
3.	2588 / 2021	पुष्कर पाण्डेय		
4.	3098 / 2021	सुमन डांगी		श्री सुनील कुमार सैनी, अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
5.	3099 / 2021	नरेश चौहान		
6.	3100 / 2021	विनीत कुमार पाठक		
7.	3101 / 2021	अमर सिंह बंजारा		

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त सभी अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 2586 / 2021 राजेश कुमार की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त तालिका में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 03.06.2021 (अनुलग्नक–1) को पुलिस निरीक्षक / कम्पनी कमांडर की दिनांक 01.04.2021 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची और प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2021 (अनुलग्नक–2) से अस्वीकार करने की कार्यवाही को चुनौती दी गई है। साथ ही अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 से 2018–19 की रिक्ति के विरूद्ध कंपनी कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं करने और अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 से 2016–17 या 2018–19 की रिक्ति के विरुद्ध कंपनी कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के अधिकार की अनदेखी करते हुए वर्ष 2019–20 की रिक्ति के विरुद्ध कंपनी कमांडर के पद पर पदोन्नत किये जाने को भी चुनौती दी गई है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2007 में उप निरीक्षक/कंपनी कमांडर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इस भर्ती का पहला नियुक्ति आदेश 18.12.2009 को जारी किया गया था लेकिन अपीलार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। इसके बाद अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य समान रिट याचिका संख्या 3705/2009 राम नारायण भंवरिया बनाम राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 12.07.2013 (अनुलग्नक–3) द्वारा नियुक्त किया गया। इस आदेश में एक नोट अंकित किया गया था कि अपीलार्थी उस तारीख से सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार है जबसे कनिष्ठ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन कार्यग्रहण करने तक अपीलार्थी को केवल काल्पनिक लाभ दिए जाएंगे। अपीलार्थी के समान स्थित व्यक्तियों को वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरुद्ध कंपनी कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया कि वह नियमों में निर्धारित पांच साल का अनुभव रखते है, परन्तु अपीलार्थी के मामले पर केवल इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि उसे वर्ष 2013 में नियुक्त किया गया था और इस प्रकार उसका दिनांक 01.04.2015 तक पांच साल का अनुभव पूरा नहीं है। अपीलार्थी के प्रकरण को आदेश दिनांक 15.06.2016 द्वारा गलत तरीके से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दिनांक 01.04.2015 तक अपीलार्थी ने पांच साल की सेवा पूरी नहीं की है और उसका नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं था। अपीलार्थी के समान स्थिति वाले व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था और अपीलार्थी को न तो वर्ष 2015–16, 2016–17 या 2018–19 के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और अंततः उसे वर्ष 2019–20 की रिक्ति के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.09.2020 (अनुलग्नक–4) द्वारा पदोन्नत किया गया। दिनांक 01.04.2021 को एक प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की गई थी और अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश दिनांक 12.07.2013 में अपने से कनिष्ठ की नियुक्ति एवं कार्यग्रहण दिनांक 02.01.2010 से वरिष्ठता का लाभ दिया गया है। अतः अपीलार्थी को वरिष्ठता क्रमांक 797 से ऊपर रखा जावे तथा वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 1204 पर अपीलार्थी का नाम गलत रूप से रखा गया है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किए बिना अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 03.06.2021 को जारी की गई थी, लेकिन अपीलार्थी का नाम गलत तरीके से उक्त वरिष्ठता सूची में रखा गया। अपीलार्थी का अभ्यावेदन आदेश दिनांक 09.06.2021 द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की रिक्ति के विरुद्ध कंपनी कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया था। अतः कम्पनी कमांडर की वरिष्ठता

सूची में सही जगह पर नाम दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी को प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति दी जाकर नियुक्ति आदेश में अपीलार्थी से कनिष्ठ की नियुक्ति से वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का अंकन है। उस दशा में अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.07.2013 के अनुसार वरिष्ठता प्राप्त करने का पात्र है, परन्तु उसे यह लाभ प्रदान नहीं किया एवं कम्पनी कमांडर की पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 2015–16 से वर्ष 2018–19 में भाग लेने के अनुमति प्रदान नहीं की एवं उसे निरीक्षक कैडर में गलत वरिष्ठता प्रदान की गई है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर वरिष्ठता सूची दिनांक 03.06.2021 और आदेश दिनांक 09.06.2021 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को उपरोक्त वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 797 के उपर सही स्थान पर रखें और अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 के बजाय 2015–16 से 2018–19 की रिक्ति के विरूद्ध कंपनी कमांडर के पद पर समस्त पारिणामिक लाभ सहित पदोन्नत किया जावे।

प्रत्यथी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2015–16 में आयोजित प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर के पद पर होने वाली पदोन्नति परीक्षा में शरीक होने हेतु आवेदन किया था, परन्तु अपीलार्थी की दिनांक 01.04.2015 को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थी को उपरोक्त पदोन्नति परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं माना गया है, क्योकि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम (सेक्सन) IV के प्रावधानानुसार कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु प्लाटून कमाण्डर के पद पर 07 वर्ष की निरन्तर सेवा या स्नातक हो तो 05 वर्ष की निरन्तर सेवा होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.04.2015 को नियमानुसार प्लाटून कमाण्डर के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करने एवं पदोन्नति वर्ष 2015–16 की प्लाटून कमाण्डर की वरिष्ठता सूची में नाम अंकित नहीं होने के कारण वर्ष 2015–16 में प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर पद की योग्यात्मक परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2015–16 के बाद अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित कर कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी की नियुक्ति के सम्बध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राज० जयपुर से पत्राचार किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक भर्ती एवं पदोन्नत्ति बोर्ड राज० जयपुर ने दिनांक 11.11.2021 (अनुलग्नक आर–1) द्वारा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवाई है। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उप निरीक्षक पुलिस भर्ती 2007 के सम्बंध में नियुक्ति हेतु रिट याचिका संख्या 3122/2012 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एस.बी सिविल रिट संख्या 3705/2009 रामनारायण भवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य जो कि हिन्दी विषय में अपनाई गई स्केलिग पद्धति के विरूद्ध दायर की गई थी, के अनुरूप निर्णय

पारित किया गया। जिसके बाद महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 12.07.2013 के तहत याचिकाकर्ता के प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये जाने पर अपीलार्थी ने दिनांक 29.07.2013 को प्लाटून कमाण्डर के पद पर डयूटी ज्वाईन की है। अपीलार्थी ने वर्ष 2015–16 में आयोजित प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर पद की योग्यात्मक परीक्षा में शरीक होने हेतु आवेदन किया, परन्तु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम सेक्सन IV के प्रावधानानुसार कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु प्लाटून कमाण्डर के पद पर 07 वर्ष की निरन्तर सेवा या स्नातक हो तो 05 वर्ष की निरन्तर सेवा होना अनिवार्य है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2015 को नियमानुसार प्लाटून कमाण्डर के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करने एवं पदोन्नति वर्ष 2015–16 की प्लाटून कमाण्डर की वरिष्ठता सूची में नाम अंकित नहीं होने के कारण वर्ष 2015–16 में प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर पद की योग्यात्मक परीक्षा में शामिल नही किया गया है (अनुलग्नक आर–2)। वर्ष 2015–16 के बाद अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित कर कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है (अनुलग्नक आर–3)। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 03.09.2020 (अनुलग्नक आर–4) द्वारा अपीलार्थी को कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नत करने सम्बंधी आदेश जारी किये है। तत्पश्चात महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के दिनांक 03.06.2021 द्वारा दिनांक 01.04.2021 की स्थिति अनुसार पुलिस विभाग में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक कम्पनी कमाण्डर पद के अधिकारियों की संम्मिलित (फाईनल) स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई है (अनुलग्नक आर–5)। जिसमे अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1204 पर अंकित है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त वरिष्ठता सूची के सम्बंध में आपत्ति कर अभ्यावेदन महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा क्रम संख्या 797 पर अकित कम्पनी कमाण्डर श्री मोहन सिंह को अपने से कनिष्ठ बताया है। अभ्यावेदन का उप महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक) राजस्थान जयपुर के दिनांक 09.06.2021 के तहत निस्तारण किया गया है (अनुलग्नक आर–6)। जिसके अनुसार अपीलार्थी को श्री मोहन सिंह कम्पनी कमाण्डर से कनिष्ठ बताया गया है क्योकि अपीलार्थी का वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध जबकि श्री मोहन सिंह कम्पनी कमाण्डर का वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध कम्पनी कमाण्डर के पद पर चयन हुआ है। इस सम्बंध में संस्थापन अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग, पुलिस मुख्यालय, राज० जयपुर के दिनांक 12.11.2021 द्वारा सूचना प्रेषित की है (अनुलग्नक आर–7)। अपीलार्थी ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2007 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 29.07.2013 को प्लाटून कमाण्डर के पद पर ड्यूटी ज्वाईन की है। याचिकाकर्ता ने एस बी सिविल याचिका संख्या 3705/2009 रामनारायण भंवरिया बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के अनुरूप पारित निर्णय की पालना में आदेश दिनांक 12.07.

2013 के तहत याचिकाकर्ता ने प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति आदेश जारी होने पर दिनांक 29.07.2013 को ज्वॉईनिंग दी है। याचिकाकर्ता वर्ष 2015–16 में आयोजित कम्पनी कमांडर की पदोन्नति योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन करने पर नियमों में निर्धारित अनुभव/निरंतर सेवा पूर्ण नहीं होने से एवं वर्ष 2015–16 की प्लाटून कमांडर की वरिष्ठता सूची में नाम अंकित नहीं होने से इस योग्यात्मक परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी की कम्पनी कमांडर के पद पर पदोन्नति वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षा में उत्तीर्ण होने से दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 03.06.2021 में अपीलार्थी को सही स्थिति में क्रम संख्या 1204 पर दर्शाया गया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी श्री राजेश कुमार, पंकज कुमार शर्मा, पुष्कर पाण्डेय, नरेश चौहान एवं विनित कुमार को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.07.2013 द्वारा आरएसी में प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति दी गई एवं उनकी वर्ष 2019–20 में कम्पनी कमांडर के पद पर पदोन्नति हुई। अपीलार्थी सुमन डांगी एवं अमरसिंह बंजारा की नियुक्ति आदेश दिनांक 19.08.2011 द्वारा हुई एवं सुमन डांगी की पदोन्नति वर्ष 2016–17 एवं अमरसिंह बंजारा की पदोन्नति वर्ष 2017–18 में हुई। उक्त सभी अपीलार्थी स्नातक योग्यताधारी है एवं सभी ने वर्ष 2015–16 में कम्पनी कमांडर के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने निर्धारित पांच वर्ष का अनुभव नहीं होने एवं प्लाटून कमाण्डर की वरियता सूची में नाम नहीं होने के आधार पर परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपीलों में निम्न दो बिन्दु निर्णय हेतु निहित हैः–

1. क्या प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में दिनांक 03.06.2021 को जारी पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमांडर की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को सही रूप से वरिष्ठता दी गई या नहीं एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को सही रूप से निस्तारित किया गया है या नहीं ?

2. क्या अपीलार्थी कम्पनी कमांडर की वर्ष 2015–16 एवं अग्रिम वर्षों की रिक्तियों हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता/पात्रता रखता था या नहीं। क्या विभाग ने उसे वर्ष 2015–16 एवं आगे की वर्षों की आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं देना नियमों के अनुरूप सही है अथवा नहीं ?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभयपक्ष के अभिकथनों के आधार पर उक्त दोनों बिदुं निम्नानुसार विवेचित किये जा रहे हैः–

बिंदु संख्या 1:— अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में विभाग में कार्यरत पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमांडर की दिनांक 03.06.2021 को जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को गलत रूप से वरिष्ठता दी गई है, जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिको को उससे वरिष्ठ बना दिया गया। अपीलार्थी के अनुसार उसे गलत रूप से वरिष्ठता क्रमांक 1204 पर रखा गया है, जबकि उसका नाम क्रम संख्या 797 के उपर होना चाहिए। अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी होने पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–5)। जिसमें निवेदन किया कि उससे कनिष्ठ मोहन सिंह को वरिष्ठता सूची में क्रमांक 797 पर रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 3122/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.09.2011 द्वारा रिट संख्या 3705/2009 रामनारायण भंवरिया एवं राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय के अनुरूप अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया है। अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश में भी इस अनुरूप वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का अंकन है। अतः अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वरिष्ठता में संशोधन कर श्री मोहन सिंह के वरिष्ता क्रमांक 797 से उपर वरिष्ठता क्रम में अपीलार्थी का नाम अंकित कराने, नाम सही कर राजेश कुमार कराने एवं कम्पनी कमांडर पद पर उपस्थिति दिनांक 03.09.2020 के स्थान पर दिनांक 04.09.2020 कराने का अनुरोध किया। अन्य अपीलार्थीगण द्वारा भी अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये गये।

प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 09.06.2021 द्वारा अपीलार्थी राजेश कुमार एवं अन्य अपीलार्थीगण श्रीमती सुमन डांगी, अमर सिंह बंजारा, विनित कुमार पाठक, पवन कुमार शर्मा, नरेश चौहान एवं अन्य कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निस्तारण किया। अपीलार्थी राजेश कुमार के नाम में संशोधन का अभ्यावेदन स्वीकार कर वरिष्ठता के संबंध में निम्नानुसार निस्तारण किया गयाः—

''3 श्री राजेश कुमार का वर्ष 2019–20 में कम्पनी कमाण्डर के पद पर चयन हुआ है, जबकि श्री मोहन सिंह/यादराम का वर्ष 2015–16 में कम्पनी कमाण्डर के पद पर चयन हुआ है। इसलिए श्री राजेश कुमार, कम्पनी कमाण्डर कनिष्ठ रहेंगे।''

इसी प्रकार अन्य अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निस्तारण किया जाकर पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति वर्ष के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण करने को सही माना एवं अभ्यावेदन अस्वीकार किये गये।

प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर के वरिष्ठता के अनुरूप पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के पद पर वरिष्ठता चाहते है। सेवा नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण चयन सूची/मैरिट के अनुरूप रहेगा एवं पदोन्नत पदों पर वरिष्ठता कर्मचारी की पदोन्नति के अनुरूप निर्धारित की जायेगी। दिनांक 01.04.2021 के संदर्भ में पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर की जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 03.06.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि

इसमें वरिष्ठता इस पर पदोन्नति के अनुसार निर्धारित की गई है। अपीलार्थी वर्ष 2019–20 में कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नत हुआ (अनुलग्नक–4)। अतः इसी अनुरूप कम्पनी कमाण्डर की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता दी गई है। अन्य अपीलार्थियों के संबंध में भी यही स्थिति है कि कम्पनी कमाण्डर पर पदोन्नति के अनुरूप वरिष्ठता निर्धारित की गई, जिसमें हम कोई अनियमितता या नियमों का उल्लघंन नहीं पाते है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर की वरिष्ठता सूची दिनांक 03.06.2021 (अनुलग्नक–1) एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निस्तारण आदेश दिनांक 09.06.2021 (अनुलग्नक–2) नियमानुसार होने से इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नही है। अतः अपीलार्थीगण का यह अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है।

बिंदु संख्या 2:– जहां तक अपीलार्थीगण को प्लाटून कमांडर से कम्पनी कमांडर के पद हेतु 2015–16 में आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने का विषय है। उसमें यह देखना है कि क्या अपीलार्थीगण वर्ष 2015–16 हेतु आयोजित कम्पनी कमांडर की योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने हेतु नियमों में निर्धारित अनुभव/निरंतर सेवा अवधि के शर्त पूरी कर रहे है या नहीं। क्या प्रत्यर्थी विभाग द्वारा योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने हेतु अनुमति नहीं देने की कार्यवाही नियमानुसार सहीं है या नहीं ?

यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी ने 2015–16 हेतु आयोजित कम्पनी कमांडर की योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे प्रत्यर्थी विभाग ने इस आधार पर अनुमति नहीं दी कि वह नियमानुसार अनुभव/निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं करता है। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रस्तुत जवाब में यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्य समान प्रकरण एस.बी. सिविल रिट संख्या 3705/2009 रामनारायण भंवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के अनुरूप पारित निर्णय की पालना में महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक 3447 दिनांक 12.07.2013 के तहत याचिकाकर्ता के प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये जाने पर याचिकाकर्ता श्री राजेश कुमार ने दिनांक 29.07.2013 को प्लाटून कमाण्डर के पद पर डयूटी ज्वाईन की है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015–16 में आयोजित प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर पद की योग्यात्मक परीक्षा में शरीक होने हेतु आवेदन किया था, परन्तु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम (सेक्सन) IV के प्रावधानानुसार कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु प्लाटून कमाण्डर के पद पर 07 वर्ष की निरन्तर सेवा या स्नातक हो तो 05 वर्ष की निरन्तर सेवा होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.04.2015 को नियमानुसार प्लाटून कमाण्डर के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नही

करने एवं पदोन्नति वर्ष 2015–16 की प्लाटून कमाण्डर की वरिष्ठता सूची में नाम अंकित नहीं होने के कारण वर्ष 2015–16 में प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर पद की योग्यात्मक परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2015–16 के बाद याचिकाकर्ता को वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित कर कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

अपीलार्थी की तरफ से निवेदन किया कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2007 में उसे नियुक्ति प्रदान नहीं करने पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य समान प्रकरण रिट याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3705/2009 रामनारायण भवरिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय के अनुरूप अपीलार्थी की रिट को स्वीकार किया एवं इसी आधार पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.07.2013 द्वारा नियुक्ति प्रदान की एवं नियुक्ति आदेश में यह नोट अंकित किया कि अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ की नियुक्ति तिथी से वरिष्ठता आदि परिलाभ देय होंगे जो कार्यग्रहण तिथी तक नोशनल एवं कार्यग्रहण से वास्तविक देय होंगे। इस आधार पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता निर्धारित कर दी है एवं वेतन नियतन भी किया जा चुका है। उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2007 की प्रथम नियुक्ति दिनांक 18.12.2009 को प्रदान की गई है। जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ को नियुक्ति प्रदान की गई है। अतः अपीलार्थी को भी उसी तिथी से वरिष्ठता एवं सेवा में माना जाने से वर्ष 2015–16 की कम्पनी कमांडर की पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा हेतु नियम में निर्धारित अनुभव एवं निरन्तर सेवा की शर्त पूरी करता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग ने उसे इसमें भाग लेने से गलत रूप से रोका है।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 3705/2009 रामनारायण भंवरिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा 4 अन्य याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09. 2011 में यह अभिनिर्धारित किया हैः–

“Accordingly, these petitions for writ are accepted. The formulate of scaling applied by the respondent while determining merit of the candidates, who faced Sub-Inspector Police Combined Competition Examination, 2007 is declared illegal. However, this declaration shall not have any adverse effect to the process of selection already taken place and completed. The candidature of the petitioners shall be considered for appointments to the post of Sub-Inspector against the future vacancies and if any of the petitioner is having

higher raw marks than the raw-marks in written examination, the last selected candidate as a consequent to the Examination of 2007, his/her candidature would be considered for appointment in his own category, and on consideration, if he/she stands in merit, appointment be accorded to him/her on the post concerned on or before 1.12.2011. The petitioners if selected, they shall be treated as the recruits against the vacancy year pertaining to that the advertisement dated 9.4.2007 relates and their seniority shall be reckoned accordingly. The relief granted in these petitions for writ shall remain confined to the petitioners only."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पश्चात अपीलार्थी द्वारा भी एक रिट याचिका दायर की गई जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रामनारायण भंवरिया की याचिका में पारित निर्णय के अनुसार निर्णित कर याचिका स्वीकार की गई।

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8023/2009 मंगलाराम विश्नोई एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं 12 अन्य रिट याचिकाओं में निर्णय दिनांक 30.06.2010 द्वारा यह अभिनिर्धारित कियाः–

"39 In view of the discussion above, this court is firmly of the opinion that the candidates belonging to the reserved category who have availed the benefit of relaxation of age meant for reserved category candidates but in all other respect, have competed with the general category candidates and stand higher in the merit than the last candidate selected in general category cannot be deprived of selection and appointment on the post against unreserved seats meant for general/open category and therefore, after reshuffling of the merits by shifting such reserved category candidates who are entitled to be appointed against the unreserved posts, if the petitioners stand in merit in OBC category then, they cannot be deprived of the appointment.

40. In the result, the writ petitions succeed, the same are hereby allowed. The action of the respondents in denying 36 candidates belonging to OBC category, the selection and appointment on the posts against unreserved seats in general/open category on the ground that they have availed the benefit of relaxation of age meant for OBC calegory is declared Illegal and unconstitutional. The respondents are directed to consider the candidature of the petitioners afresh and if after reshuffling

the merits by Inclusion of names of those 36 candidates selected in OBC category in the list of open/ general category, the petitioners are found entitled to be appointed as per their merit in the OBC category then, they shall be provided appointment on the posts of Sub Inspector Police (AP); Platoon Commander(Sub Inspector RAC) or Sub Inspector Police(MBC), as the case may be with effect from the date the last candidate in the OBC category or in absence thereof in general category was appointed. The petitioners shall be entitled to notional benefits for intervening period including the benefits of seniority, Increment etc. The entire exercise for providing appointments to the petitioners, if they are found entitled to be appointed shall be completed expeditiously in any case, within a period of three months from the date of this order. No order as to costs."

अपीलार्थी नरेश चौहान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 12448/2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मंगलाराम विश्नोई की रिट याचिका में पारित निर्णय के अनुसार निर्णित किया।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 12.07.2013 द्वारा अपीलार्थीगण श्री नरेश चौहान, पंकज कुमार शर्मा, विनित कुमार पाठक, पुष्कर पाण्डे एवं राजेश कुमार को प्लाटून कमांडर (आरएसी) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इस नियुक्ति आदेश में यह अंकन है कि इस अभ्यर्थियों को उनके कनिष्ठ की नियुक्ति दिनांक से वेतन का काल्पनिक (नोशनल) एवं वरिष्ठता का लाभ देय होगा तथा जाइनिंग दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा। नियुक्ति आदेश दिनांक 12.07.2013 नरेश चाहौन की अपील में अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। इन 5 अपीलार्थीगण की कम्पनी कमांडर के पद पर पदोन्नति वर्ष 2019–20 में हुई।

अपीलार्थी अमर सिंह बजांरा एवं सुमन डांगी की नियुक्ति प्लाटून कमांडर (आरएसी) के पद पर आदेश दिनांक 19.08.2011 को दी गई। इस नियुक्ति आदेश में यह अंकित है कि इन अभ्यर्थियों के इनसे कनिष्ठ अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथी से वरिष्ठता एवं अन्य परिलाभ काल्पनिक आधार (नोशलन आधार) पर देय होगें। इन दोनों अपीलार्थी में सुमन डांगी की वर्ष 2016–17 एवं अमर सिंह बजांरा की वर्ष 2017–18 में कम्पनी कमांडर के पद पर पदोन्नति हुई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयादेशों के क्रम में उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2007 की दिनांक 21.02.2012 को नवीन वरीयता

सूची जारी की, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.11.2015 द्वारा आरपीएससी द्वारा जारी नवीन वरीयता सूची के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया गया। इसमें चयन मेरिट के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया एवं जारी नियुक्ति आदेश को वरिष्ठता का आधार नहीं माना। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विलम्ब से नियुक्ति आदेश जारी होने का उनकी वरिष्ठता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं रहा एवं उनकी वरिष्ठता चयन सूची में उनसे कनिष्ठ के नियुक्ति की तिथी से निर्धारित की जाकर चयन मेरिट के अनुसार उन्हें वरिष्ठता प्रदान की गई, जिसमें विनित कुमार पाठक (158), पंकज कुमार शर्मा (165), राजेश कुमार (179), पुष्कर पाण्डे (184), नरेश चौहान (201), अमर सिंह बजांरा (202) एवं सुमन डांगी (237) पर रखा गया है। वरिष्ठता सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण से कनिष्ठ को नियुक्ति दिनांक 18.12.2009 को दी गई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के दृष्टिगत अपीलार्थीगण को उससे कनिष्ठ की नियुक्ति तिथी से वरिष्ठता देय होगी। बैच में प्रथम कार्यग्रहण दिनांक 02.01.2010 को होने से उसी तिथी से वेतन नियतन किया जाकर कार्यग्रहण की तिथी तक काल्पनिक (नोशनल) एवं कार्यग्रहण की तिथी से वास्तविक लाभ देय होगा। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना उसी तिथी से की जायेगी, जिस तिथी से उन्हें वरिष्ठता एवं वेतनमान का लाभ दिया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण से कनिष्ठ को पदोन्नति हेतु वर्ष 2015–16 की कम्पनी कमाण्डर की योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देना फिर भी अपीलार्थी को अनुमति नहीं देना नियम संगत नहीं है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क भी मान्य नहीं है कि पदोन्नति वर्ष 2015–16 की प्लाटून कमांडर की वरिष्ठता सूची में नाम अंकित नहीं होने के कारण वर्ष 2015–16 की कम्पनी कमांडर की योग्यात्मक परीक्षा में शामिल नहीं किया। क्योंकि वरिष्ठता सूची प्रति वर्ष तैयार करना एवं जारी करना प्रत्यर्थी विभाग का दायित्व है। जब अपीलार्थीगण ने वर्ष 2015–16 से बहुत पहले प्लाटून कमांडर के पद पर वर्ष 2011 एवं 2013 में ज्वाईन कर लिया था एवं आरपीएससी ने दिनांक 21.02.2012 को नवीन वरियता सूची जारी कर दी थी तो वरिष्ठता सूची विलंब से जारी करने एवं वरिष्ठता सूची में अपीलार्थीगण का नाम नहीं जोड़े जाने का प्रत्यर्थी विभाग की गलती की सजा अपीलार्थीगण को नहीं दी जा सकती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संशोधित वरीयता सूची दिनांक 21.02.2012 को ही जारी कर दी थी।

इस तरह के प्रकरणों में कार्मिक विभाग का यह मत रहा है कि आयोग द्वारा जारी की गई अंतिम वरिष्ठता सूची (Final Merit List) में विलम्ब से कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक से कनिष्ठ राजवेक का जो अनुभव होगा वहीं अनुभव उसका माना जायेगा। बशर्ते की कार्यग्रहण में विलम्ब के लिए राजसेवक किसी स्तर/परिस्थिति में दोषी नहीं है। एक अन्य प्रकरण में गृह विभाग ने नरेन्द्र सिंह कम्पनी कमाण्डर के प्रकरण में महानिदेशक पुलिस को निम्नानुसार निर्देशित किया है:—

''**उपरोका विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में प्रकरण में पुनः कार्मिक विभाग से राय ली गई है। कार्मिक विभाग द्वारा उनकी आई डी क्रमांक 1597 दिनांक 23.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्लाटून कमाण्डर के पद पर विलम्ब से कार्यग्रहण करने में श्री नरेन्द्र सिंह के स्तर पर कोई लापरवाही नहीं रहीं है। ऐसी स्थिति में प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर के पद पर प्रथम पदोन्नति के समय श्री नरेन्द्र सिंह की सेवा व अनुभव नोशनली (Notionally) उनसे कनिष्ठ कार्मिक के समकक्ष मानते हुए वर्ष 2009 की योग्यात्मक परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। चूंकि वर्ष 2009 की योग्यात्मक परीक्षा पूर्व में आयोजित की जा चुकी है। अतः उक्त आधार पर श्री सिंह को वर्ष 2009 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में शामिल करने हेतु रिव्यू किया जाकर अन्यथा पात्र पाए जाने पर उनसे कनिष्ठ के समान लाभ प्रदान किये जावे।**''

यह भी तथ्य है कि वरिष्ठता सूची जारी करने का प्रयोजन कॉडर प्रबंधन एवं पदोन्नति की कार्यवाही करना है।

उक्त विवेचन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णयों के दृष्टिगत हम यह पाते है कि अपीलार्थीगण स्नातक योग्यताधारी होने से वर्ष 2015—16 में प्लाटून कमांडर से कम्पनी कमांडर हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में शामिल होने के लिए नियमों में निर्धारित 5 वर्षों का अनुभव/निरन्तर सेवा की शर्त पूरी करते है एवं इन्हें उक्त योग्यात्मक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं देना नियम विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग को इन्हें वर्ष 2015—16 एवं उसके बाद के वर्षों में कम्पनी कमांडर के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थीगण के आवेदन करने की दशा में भाग लेने हेतु अनुमति दी जानी चाहिए थी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि इन समस्त अपीलों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमांडर की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची नियमानुसार होने एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

अभ्यावेदनों का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया निस्तारण नियमानुसार होने से हम उसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः इस अनुतोष को अस्वीकार किया जाता है, परन्तु अपीलार्थीगण वर्ष 2015–16 की कम्पनी कमांडर की पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने हेतु अनुभव एवं निरंतर सेवा अवधि के आधार पर पात्र घोषित किए जाते है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2015–16 की कम्पनी कमाण्डर की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में शामिल करते हुए रिव्यू किया जाकर अन्यथा पात्र पाये जाने पर उस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध कम्पनी कमाण्डर की पदोन्नति प्रदान की जावे एवं इनसे कनिष्ठ के समान समस्त परिलाभ प्रदान किये जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णय के 6 माह की समयावधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित किया जावे एवं पदोन्नति के अनुरूप अपीलार्थीगण को पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमांडर की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता निर्धारित की जावे।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2586/2021 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य